तहसीलदार , नोहर,जिला -हनुमानगढ

दायर दिनांक : 01/02/2022 | केस दायर / वर्तमान स्थिति | प्रिंट दिनांक : 02/02/2022

प्रार्थी	सरकार
अप्रार्थी	वीर सिंह
जिला	हनुमानगढ़
तहसील	नोहर
गांव	खरसंडी
मुकदमा अधिनियम	राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम
मुकदमा प्रकार	प्रार्थना पत्र
पूर्ण कोर्ट फीस प्राप्त	हाँ
कैवियट	
धारा अंतर्गत	22
नोटिस संलग्न	
अंतर्गत मयाद	
प्रथम सुनवाई तारीख	
सुनवाई का कारण	नोटिस
स्थगन प्रार्थना पत्र	No
पुरानी वाद संख्या	
बाजदायरी/नजरसानी वाद सं.	
कनेक्टेड केस नम्बर	

कंप्यूटर आई. डी.

2022/70

2022/70

सरकार

बनाम

वीर सिंह (दाडा)

अगामी सुनवाई	सुनवाई का कारण
16/02/2022	नोटिस
16/02/22	निर्णय

अभिभाषक का विवरण

स्वयं	प्रार्थी
स्वयं	अप्रार्थी

प्रस्तुत कर्ता(अभिभाषक / प्रार्थी) : ADVOCATE

विशेष विवरण

तहसीलदार , नोहर,जिला -हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar
Date: 2022.02.16 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम **वीर सिंह पुत्र हरीराम जाट** साकिन **खरसण्डी** किस्म **चारागाह** मुकदमा धारा 22 उप0 अधि0 1954 मु0नं0 **70** सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीश्यिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
01.02.2022	पटवारी हल्का ललानिया द्वारा ग्राम **खरसण्डी** के खसरा नम्बर **133** में **.0252** हैक्टेयर गैरमुमकिन चारागाह की भूमि पर अप्रार्थी **वीर सिंह पुत्र हरीराम जाट** द्वारा **बाडा** बनाकर नाजायज अतिक्रमण करने की रिर्पोट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी **वीर सिंह पुत्र हरीराम जाट** को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 16/02/2022 को पेश हो।	
16/2/2022	पत्रावली आज दिनांक पेशी में ली गयी। अप्रार्थी वीर सिंह पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन खरसण्डी को तलब किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी तारीख पेशी पर हाजिर नहीं अप्रार्थी को जोर-जोर से आवाजें लगायी गई फिर भी अप्रार्थी अनुपस्थित अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी वीर सिंह द्वारा गै.मु. चारागाह की भूमि के ख.नं. 133 में 0.0252 हैक्टेयर पर नाजायज अतिक्रमण करने से अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू.राजस्व की दर के 50 गुना राशि लगभग 30 रु. से दण्डित किया जाता है। भू.अ.नि. जमादार से [illegible] से बेदखली आदेश जारी हो तथा [illegible] निर्णय लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar
Date: 2022.02.16 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 70 सन् 2022

राज.सरकार

बनाम

वीर सिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः– .02.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिर्पोट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी वीर सिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर द्वारा ग्राम खरसण्डी के ख.न. 133 की गै.मु. चारागाह भूमि में 0.0252 है0 नाजायज बाडा बना कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिर्पोट प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी स्वंय को तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया गया अप्रार्थी का जवाब संतोषजनक प्रतित नहीं होता अतः पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व प्रश्नगत भूमि पर नाजायज बाडा बना कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0नि0 को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थी को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थी को भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर लगभग तावान राशि 30/– रू. से दण्डित किया जाता है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर को अलग से आदेश जारी हो की संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग एवं ग्राम पंचायत ललानिया द्वारा संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पाबद करें

(राजस्थान पंचायती राज नियम 165(5) के अनुसार चारागाह भूमि पर पाये गये अतिक्रमण के सभी ऐसे मामलों की लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को प्रकरण दर्ज करने और अतिक्रमियों को बेदखली की कार्यवाही ग्राम पंचायत के संकल्प के साथ की जायेगी)

भू अभिलेख निरीक्षक जबरासर को आदेश जारी हो कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar
Date: 2022.02.16 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested

(रामकुमार R.T.S.)
तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 151-152 दिनांकः 16.02.2022

1. भू.अभिलेख निरीक्षक जबरासर।
2. पटवारी हल्का ललानिया।

विषयः– प्रकरण संख्या 70 / 2022 में निर्णय दिनांक 16.02.2022 की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय द्वारा विषयक प्रकरण में निर्णय दिनांक 16.02.2022 के द्वारा अप्रार्थी वीरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ के विरूद्ध निर्णय लिया गया है कि ग्राम खरसण्डी के गै. मु. चारागाह भूमि के ख.न. 133 की 0.0252 है0 पर नाजाजय रूप से बाडा बनाने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का फेसला लिया गया हैं तथा जुर्माना स्वरूप लगभग 30 रूपये तावान से दण्डित किया गया है।

अतः भू0अ0नि0 जबरासर उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि से तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर एवं पटवारी हल्का ललानिया तावान राशि वसूल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमाक / राजस्व / 2022 / 153-154 दिनांकः–16.02.2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर को भेजकर लिखा जाता है कि संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को बेदखली की कार्यवाही में सहयोग हेतु एवं ग्राम पंचायत ललानिया को संसाधन उपलब्ध कराने हेतु पाबद करें। (राजस्थान पंचायती राज नियम 165(5) के अनुसार चारागाह भूमि पर पाये गये अतिक्रमण के सभी ऐसे मामलों की लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को प्रकरण दर्ज करने और अतिक्रमियों को बेदखली की कार्यवाही ग्राम पंचायत के संकल्प के साथ की जायेगी)
2. तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को मांग कायमी हेतु लिखा जाता हैं।

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जि. हनुमानगढ़

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar
Date: 2022.02.16 17:17:23 IST
Reason: SelfAttested